FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :— जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः—	बनाम	रेस्पोडेन्ट :—
तुलसाराम चौधरी 36—A जनता कोलोनी पाली (राज.) पिन—306401		लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 48 /2020
G.C.M.S. No. -2020/00185
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम—2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10/9/20	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी(अतिरिक्त जिला कलेक्टर), पाली ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोडेन्ट से सूचना उपलब्ध करवाई गई अथवा नही एवं नहीं करवाई गई तो क्या कारण रहे। तुरन्त अपीलांट को निःशुल्क सुचना उपलब्ध करवाई जाकर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु पत्र लिखा जावे। पत्रावली दिनांक 25/9/20 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	976-977 10/9/20
25/9/20	पत्रावली आज पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी (ADM) पाली ने जरिये पत्रांक रा.लो.सू.अ./224/2020/1418 के अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा वांछित सूचना स्पष्ट नहीं होने के उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है, इस संबंध में उन्होंने अपीलान्ट को भी सूचित कर दिया है। अतः अपीलान्ट को अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस तलब किया जावे। जिसका उन्हें किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा। पत्रावली दिनांक 16/10/2020 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	1069 29/9/20
16/10/20	पत्रावली आज पेश हुई। अपीलान्ट के नाम जारी नोटिस बाद तामील प्राप्त. इसके बावजूद अपीलान्ट अपना पक्ष रखने हेतु अनुपस्थित है। इससे [illegible] होता है कि अपीलान्ट लो.[illegible] सन्तुष्ट है। इस्तगासा अ[illegible] कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली रेकार्ड में जमा होकर इस न्यायालय के नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर, पाली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:35:19 IST
Reason: SelfAttested